उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या-16/2017/1883/94-1-2017/312(83)/2015

लखनऊ दिनांकः 15 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से,

1- नीचे अनुसूची में दिये गए राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला गाजियाबाद में नया निबन्धन उप जिला लोनी प्रथम सृजित करते हैं, और

2- नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए जिला गाजियाबाद के निबन्धन उप जिला, उप निबन्धक सदर चतुर्थ एवं पंचम की सीमाओं में परिवर्तन करते है:-

जिला गाजियाबाद के निबन्धन उप जिला सदर चतुर्थ एवं पंचम से अपवर्जित किये गये और जिला गाजियाबाद के नवसृजित निबन्धन उप जिला लोनी प्रथम में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

अनुसूची

क्र० सं०	**सदर चतुर्थ के ग्रामों**	**क्र० सं०**	**सदर पंचम के ग्रामों**
1	खानपुर जब्ती	1	अगरौला
2	ईलायचीपुर	2	मिलक बामला
3	बहटाहाजीपुर	3	मसूदाबाद बामला
4	पांबी सादकपुर	4	लुतफुल्लापुर नवादा
5	सादाबाद डुंगरावली	5	अलियाबाद
6	दौलताबाद भोवापुर	6	मण्डोला
7	नसरताबाद खडखडी	7	नानू
8	लोनी	8	मीरपुर हिन्दु
9	सादुल्लाबाद	9	बदरपुर
10	अहमदनगर नवादा		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11	हकीकतपुर उर्फ खुदाबांस		
12	हरमपुर		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय में, जिसमें अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पडेगा।

आज्ञा से

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-16/2017/1883/94-1-2017-312(83)/2015 दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि- हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियां आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(भैरव लाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-16/2017/1883/94-1-2017-312(83)/2015 दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, गाजियाबाद।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गाजियाबाद।
12. विधायी अनुभाग1-
13. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Government

Stamp & Registration Section-1

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2017/1883/ 94-1-2017-312(83)/2015 dated 15 September, 2017

N0.16/2017/1883/94-1-2017-312(83)/2015

Lucknow:: Dated:: 15 September, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notification issued in the this behalf the Governor is pleased to

(1) create a new registration sub-district **Loni first** in district **Ghaziabad** by including revenue villages given in the schedule below,

(2) alter the limits of registration sub-district **Sub- Registrar Sadar fourth and fifth** of district **Ghaziabad** by excluding the areas of revenue villages given in the schedule below.

with effect from the date of this notification in the Gazette-

SCHEDULE

List of villages excluded from registration sub-district Sadar fourth and fifth of district Ghaziabad and including in the newly created registration sub-district Loni first of district Ghaziabad:-

Sl. No.	VILLAGES OF SADAR FOURTH	Sl. No.	VILLAGES OF SADAR FIFTH
1	KhanpurJabti	1	Agrola
2	Ilachipur	2	MilakBamla
3	Bhaitahajiur	3	MasudabadBamla
4	PaviSadakpur	4	LautphulapurNawada
5	SadabadDugrawali	5	Aaliyadad
6	DaultabadBhovapur	6	Mandola
7	NasratabadKharkhari	7	Nanu
8	Loni	8	Meerpur Hindu
9	Sadaulabad	9	Badarpur
10	AhamadabadNawada		
11	HaqeecatpurUrfKhaudabas		
12	Harampur		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

(Himanshu Kumar)
PramukhSachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।